358

संख्याः–1713/XIV–1/2014–5(18)/2011

प्रेषक,

विजय कुमार ढौंडियाल,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निबन्धक,
सहकारी समितियां, उत्तराखण्ड।

सहकारिता,गन्ना चीनी अनुभाग–1 देहरादून, दिनांक 12 दिसम्बर, 2015

विषयः– जनपद चम्पावत में संचालित एकीकृत सहकारी विकास परियोजना हेतु वित्तीय वर्ष 2015–16 में वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्याः–7562/नियो0/आई0सी0डी0पी0–चम्पावत/2015–16 दिनांक 14 दिसम्बर, 2015 तथा वित्त विभाग के पत्र संख्या–400/XXVII(1)/2015 दिनांक 01अप्रैल, 2015 एवं वित्तीय स्वीकृतियां जारी करने के सम्बन्ध में वित्त अनुभाग–1 के शासनादेश दिनांक 04 जून, 2015 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि एकीकृत सहकारी विकास परियोजना, चम्पावत के क्रियान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2015–16 में **रू0 2,41,54,000/–(रूपये दो करोड़ इकतालिस लाख चौवन हजार मात्र)** की धनराशि आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है। उक्त धनराशि की शत–प्रतिशत प्रतिपूर्ति राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा राज्य सरकार को की जाएगी तथा उक्त धनराशि आवश्यकतानुसार निबन्धक, सहकारी समितियां, उत्तराखण्ड द्वारा निर्दिष्ट कार्य में व्यय करने हेतु सम्बन्धित परियोजना को उपलब्ध करायी जायेगी। यह स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन जारी की जा रही हैः–

(1) व्यय के संबंध में वित्त विभाग के पत्र दिनांक 01 अप्रैल, 2015 का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा स्वीकृत धनराशि के उपयोग की मदवार/लक्ष्यवार अद्यतन वित्तीय एवं भौतिक प्रगति से शासन को त्रैमासिक रूप से अवगत कराया जायेगा।
(2) स्वीकृत अंशपूजी एवं ऋण की धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार किया जायेगा और यह सुनिश्चित किया जायेगा कि इस योजना के अन्तर्गत स्वीकृत सभी ऋणों की प्रतिपूर्ति हो जाए और उसे कोषागार के संगत लेखा शीर्षक के अन्तर्गत जमा करा दिया जाए।
(3) स्वीकृत धनराशि राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा मूल रूप में स्वीकृत परियोजना में उल्लिखित शर्तो/मदों/लक्ष्यों के अनुसार व्यय की जायेगी।
(4) स्वीकृत धनराशि, निगम की परियोजना के अनुरूप राज्य सरकार द्वारा वर्तमान में व समय–समय पर निर्गत शर्तो के अनुरूप नियंत्रित होगी।
(5) स्वीकृत धनराशि का उपयोग अन्य प्रयोजन हेतु नहीं किया जाएगा। परियोजना का नियमानुसार लेखा परीक्षण, मुख्य लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा किया जायेगा तथा महालेखाकार, उत्तराखण्ड द्वारा भी किया जा सकता है।
(6) आवश्यक उपयोगिता प्रमाण–पत्र एवं इसकी सूचना यथासमय राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम को तथा राज्य सरकार को त्रैमासिक रूप से उपलब्ध करानी होगी और पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित होने के उपरान्त ही अवशेष धनराशि के उपयोग की कार्यवाही की जाएगी।

2. उक्त शर्तों का अनुपालन विभाग/परियोजना में तैनात वित्त नियंत्रक/लेखाधिकारी/सहायक लेखाधिकारी अथवा जैसी भी स्थिति हो, द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा।
3. उपर्युक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015–16 के आय–व्ययक में सहकारिता विभाग से सम्बन्धित अनुदान संख्या–18 के अन्तर्गत निम्नलिखित शीर्षकों के नामे डाला जायेगाः–

क्रमशः

अनुदान सं0–18

(धनराशि रू0 में)

लेखाशीर्षक	स्वीकृत धनराशि
2425–सहकारिता–आयोजनागत, 00, 800:अन्य व्यय 04–एकीकृत सहकारी विकास परियोजना हेतु अनुदान(राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा पोषित) 00– 20– सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता	58,72,400.00
4425–सहकारिता पर पूंजीगत परिव्यय–आयोजनागत 00– 200– अन्य निवेश 03–समितियों की अंशपूंजी में विनियोजन(राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम 00– 30–निवेश/ऋण	1,05,43,100.00
6425–सहकारिता के लिए कर्ज–आयोजनागत 00––800–अन्य कर्ज 04–एकीकृत सहकारी विकास योजना के अन्तर्गत ऋण(राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा पोषित) 30–निवेश/ऋण	77,38,500.00
योग– (रूपये दो करोड़ इकतालिस लाख चौवन हजार मात्र)	**2,41,54,000.00**

4. ये आदेश वित्त विभाग के पत्र सं0–400/XXVII(1)/2015 दिनांक 01अप्रैल, 2015 तथा वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–1136/XXVII(1)/2015 दिनांक 17 नवम्बर, 2015 के पैरा–5 के अनुसार एवं शासनादेश संख्या–1379/XXVII (1)/2015 दिनांक 27 नवम्बर,2015 द्वारा दिए गए विस्तृत दिशा–निर्देशों के क्रम में जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक–आई0डी0 मूल में।

भवदीय,

(विजय कुमार ढौंडियाल)
सचिव।

संख्याः–1713(1)/XIV–1/2015, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, ओबरॉय बिल्डिंग, माजरा, देहरादून, उत्तराखण्ड।
2. प्रबन्ध निदेशक, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, 4–सीरी इन्स्टीट्यूशनल एरिया, हौज खास, नई दिल्ली को उक्तानुसार अवमुक्त धनराशि की राज्य सरकार को प्रतिपूर्ति किए जाने सम्बन्धी अनुरोध सहित।
3. वित्त–4/नियोजन/भाषा अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
4. मण्डलायुक्त, कुमांऊ मण्डल, नैनीताल, उत्तराखण्ड।
5. जिलाधिकारी, चम्पावत, उत्तराखण्ड।
6. जिला सहायक निबन्धक,चम्पावत, उत्तराखण्ड।
7. वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, अल्मोड़ा, उत्तराखण्ड।
8. बजट निदेशालय, सचिवालय परिसर, देहरादून।
9. अधिशासी निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, उत्तराखण्ड।
10. प्रभारी मीडिया सेन्टर, सचिवालय परिसर, उत्तराखण्ड, देहरादून।
11. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सुनील सिंह)
उपसचिव।